रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224890
CG-DL-E-02022021-224890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 02, 2021/माघ 13, 1942
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 02, 2021/MAGHA 13, 1942

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

F. No. CEA-PS-11-21(21)/8/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 3rd फ्लोर, शेरेटन ग्रैंड होटल, ब्रिगेड गेटवे कैंपस, 26/1, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजी नगर, बेंगलुरु (कर्नाटक) -560055 में है, ने पारेषण योजना “मैसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड (ऐआरपीओपीएल) के बीकानेर, राजस्थान में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I दिनांक 23.04.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड (ऐआरपीओपीएल) के बीकानेर, राजस्थान में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन लिए मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड (ऐआरपीओपीएल) के बीकानेर, राजस्थान में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध

किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट- बीकानेर 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
बीकानेर	बीकानेर	खिचियां, जलालसर, जामसर

मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को "मैसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड (ऐआरपीओपीएल) के बीकानेर, राजस्थान में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना" पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 06-06-2020 से 12-06-2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स अयाना रेन्यूएबल पावर वन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./486/2020-21]

MINISTRY OF POWER

(Central Electricity Authority)

ORDER

New Delhi, the 5th November 2020

F. No. CEA-PS-11-21(21)/8/2020-PSPA-I Division.—whereas M/s Ayana Renewable Power One Private Limited (ARPOPL), the applicant with its registered office at 3rd Floor, Sheraton Grand Hotel, Dr. Rajkumar Road, Rajaji Nagar, Bangalore-560055, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system of M/s Ayana Renewable Power One Private Limited (ARPOPL) for its 300 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division dated 23.04.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Ayana Renewable Power One Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity system of M/s Ayana Renewable Power One Private Limited (ARPOPL) for its 300 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan".

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme "Connectivity system of M/s Ayana Renewable Power One Private Limited (ARPOPL) for its 300 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

Ayana Renewable Power One Pvt. Ltd. Plant – Bikaner 400 kV S/C line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: RAJASTHAN

Ayana Renewable Power One Pvt. Ltd. Plant – Bikaner 400 kV S/C line.

District	**Tehsil**	**Name of Villages**
Bikaner	Bikaner	Khichiyan, Jalalsar, Jamsar

M/s Ayana Renewable Power One Private Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Ayana Renewable Power One Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system of M/s Ayana Renewable Power One Private Limited (ARPOPL) for its 300 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan". The details of the works are published in the Gazette of India dated 06-06-2020 to 12-06-2020.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s Ayana Renewable Power One Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./486/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.02 22:00:55 +05'30'